



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ ख़ान
कुलसचिव
Kadar Nawaz Khan
Registrar

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक : 003/2003/का.आ./02-34/2017
दिनांक : 23.08.2017

कार्यालय आदेश

पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मशताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में विश्वविद्यालय में अध्ययनरत अति जरूरतमंद विद्यार्थियों के शैक्षणिक हित को ध्यान में रखते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्या निधि की स्थापना की जाती है।

इस निधि में विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक, कर्मी, विद्यार्थी/शोधार्थी तथा बाहरी व्यक्ति/संस्था स्वेच्छा से आर्थिक अंशदान कर सकते हैं।

इस निधि से विश्वविद्यालय में अध्ययनरत अति जरूरतमंद विद्यार्थियों/शोधार्थियों को आवश्यकता पड़ने पर आंशिक आर्थिक सहयोग किया जायेगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

कादर नवाज़
(कुलसचिव)
23/08/17

प्रति

समस्त शिक्षक, कर्मी, विद्यार्थी/शोधार्थी (ईमेल द्वारा)

प्रतिलिपि,

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति कार्यालय
3. वित्त अधिकारी (आवश्यक कार्रवाई हेतु)
4. अकादमिक संयोजक
5. स्थापना एवं प्रशासन विभाग
6. विश्वविद्यालय वेबसाइट,
7. संबंधित पत्रावली